जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना **दिनांक 20.06.2025**

स्वाट/सर्विलांस व थाना नगीना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना नगीना क्षेत्र के ग्राम अलीपुरा जट के पास दुकानदार से हुई कथित लूट की घटना का अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार व साथी बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2025 को वादी श्री मौ0 आजम पुत्र मौ0 अख्तर निवासी ग्राम अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि जब वह ग्राम अकबराबाद स्थित अपनी परचून की दुकान बन्द करके रात्रि के समय अपनी गाडी आल्टो रजि0 नं0 यूपी20यू-0151 द्वारा अपने घर ग्राम अलीपुर जट आ रहा था तो रास्ते मे उसके गांव के नजदीक भट्टे की जमीन के पास कुछ अज्ञात बदमाशो ने उसे रोक लिया तथा लाठी-डन्डो से उसकी आल्टो कार मे तोड-फोड की गई व वादी के साथ मारपीट की गई तथा कार मे रखा थैला जिसमे 80,000/- रूपये थे, को छीनकर ले गए। वादी ने शक के आधार पर उससे रंजिश रखने वाले अरशद पुत्र बाबू हाफीज निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर व कुछ अज्ञात व्यक्तियो पर उपरोक्त घटना के आरोप लगाये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 104/25 धारा 126(2)/324(4)/115(2)/309(4) बीएनएस बना अरशद उपरोक्त व कुछ अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वादी द्वारा प्रारंभिक तहरीर में उपरोक्त घटना मे ₹80,000 लूट की कही गई बात से इंकार करते हुए वादी द्वारा केवल मारपीट की घटना की पुष्टि की गई। अभियोग की अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त घटना मे 02 बाल अपचारी व 07 अभियुक्तगण 1.अरशद पुत्र बाबू हाफिज 2.लुकमान उर्फ सद्दाम पुत्र याकूब, 3.मौ0 फरमान पुत्र मौहम्मद असगर, 4.सलीम पुत्र नफीस शाह निवासीगण अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर 5.विकुल शर्मा उर्फ लकी पुत्र जगमोहन शर्मा, 6.कार्तिक कश्यप पुत्र चन्द्रपाल, 7.मौ0 जाकिर पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये तथा अभियोग मे धारा 309(4) का लोप करते हुए धारा 191(2)/109(1)/131/61(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही विवरणः-

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 06 अभियुक्तगण 1.अरशद, 2.लुकमान उर्फ सद्दाम, 3.मौ0 फरमान, 4.सलीम, 5.विकुल व 6.मौ0 जाकिर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा साथी 01 बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया। अभियुक्तो के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 03 डन्डे/लाठी बरामद किये गए। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तो से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादी की भतीजी और अभियुक्त अरशद उपरोक्त के बीच प्रेम-प्रसंग था, जिसका वादी व उसके परिवार द्वारा विरोध किया गया था। कुछ समय पूर्व अभियुक्त अरशद के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट करने का प्रकरण प्रकाश मे आया जिसकी थाना नगीना पर कोई सूचना नही दी गयी। अरशद को अपने साथ हुई मारपीट का शक वादी मुकदमा मौ0 आजम के ऊपर था। इसी रंजिश के चलते अरशद ने मौ0 आजम को सबक सिखाने के लिये अपने मित्र लुकमान उर्फ सद्दाम को ₹9,000 देकर मौ0 आजम के साथ मारपीट कराने की योजना बनाई। लुकमान ने अपने साथी विकुल शर्मा उर्फ लकी के माध्यम से अन्य युवकों – कार्तिक कश्यप, मोहम्मद जाकिर, व 02 बाल अपचारियों आदि को इस योजना में शामिल किया तथा वादी की लोकेशन की जानकारी देने की जिम्मेदारी फरमान व सलीम को सौंपी गई। सभी अभियुक्तों ने मिलकर पूर्व नियोजित ढंग से वादी पर हमला किया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अभियुक्तो द्वारा वादी की कार से कोई भी बैग छीनने की बात को गलत बताया तथा मारपीट की बात को स्वीकार किया।

नोट- अभियुक्तो से की गई पूछताछ व वादी मुकदमा मौ0 आजम के कथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर लूट की घटना की पुष्टि नही हुई है अभियुक्त अरशद द्वारा रंजिश के चलते वादी मुकदमा मौ0 आजम के साथ मारपीट व कार मे तोड-फोड करने की घटना की पुष्टी हुई है। अभियोग मे वांछित शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.अरशद पुत्र बाबू हाफिज निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.लुकमान उर्फ सद्दाम पुत्र याकूब निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3.मौ0 फरमान पुत्र मौहम्मद असगर निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर।

4.सलीम पुत्र नफीस शाह निवासी अलीपुरा जट थाना नगीना जनपद बिजनौर।

5.विकुल शर्मा उर्फ लकी पुत्र जगमोहन शर्मा निवासी ग्राम नारायणपुर रामजी उर्फ तेलीपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

6. मौ0 जाकिर पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी मौ0 शाहजहीर कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।

7.एक बाल अपचारी पुलिस निगरानी मे।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त 03 डन्डे/लाठी

वांछित अभियुक्तगण

1.कार्तिक कश्यप पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नारायणपुर रामजी उर्फ तेलीपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2.एक बाल अपचारी

गिरफ्तार सभी अभियुक्तगण व बालअपचारी का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 104/25 धारा 191(2)/109(1)/131/126(2)/115(2)/324(4)/61(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट टीम मय टीम जनपद बिजनौर।

2.श्री योगेश कुमार, प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर।

3.श्री तेजपाल सिंह थानाध्यक्ष नगीना मय टीम जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 20.06.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 149 /25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109(1)/3(5)/352/351(2) बीएनएस मे वांछित 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनाकं 11.06.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि मौ0 अशरफ पुत्र अब्दुल रहमान व सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम मंशा कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर सहित 08 नामित अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्रो के साथ एक राय होकर गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से वादी के पुत्रो के सिर पर लाठी डन्डो आदि से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 191(2),(3)/115(2)/109(1)/3(5)/352/351(2) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मौ0 अशरफ पुत्र अब्दुल रहमान, 2.सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम मंशा कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डो को बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचिलत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मौ0 अशरफ पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम मंशा कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
2. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम मंशा कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर >

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त 02 लकडी के डन्डे।

अभियुक्त मौ0 अशरफ का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 45/21 धारा 504/506 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 44/22 धारा 171(एच)/188 भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 45/22 धारा 269/270 भादवि व धारा 3/4 महामारी अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 149/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109(1)/3(5)/352/351(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

अभियुक्त सलीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 149/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109(1)/3(5)/352/351(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर।

2.का0 1299 नितिन कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

3.का0 1122 अरबाज थाना नगीना देहात बिजनौर।

4. का0 2523 संदीप कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 20.06.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 533/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि 02 व्यक्ति वादी की दुकान पर सामान खरीदने के बहाने से आये तथा दुकान पर काम करने वाला लडका जब सामान लाने के लिये दुकान की उपरी मंजिल पर गया तो उसी दौरान उनमे से एक व्यक्ति ने दुकान के गल्ले मे हाथ डालकर नगदी चुरा ली। वादी ने यह घटना सीसीटीवी मे देखी तो उसने दौडकर उन दोनो मे से एक व्यक्ति को पकड लिया जिसने अपना नाम विमल पुत्र विरेन्द्र निवासी जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर बताया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 533/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरणः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त विमल पुत्र विरेन्द्र निवासी जाफराबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी किये गए 790 रूपये की नगदी व एक एम सील सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विमल पुत्र विरेन्द्र निवासी जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

790 रूपये की नगदी व एक एम सील

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 500/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 531/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 620/19 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहरा बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 621/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना स्योहरा बिजनौर ।
5.मु0अ0सं0 149/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना धामपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 सतेन्द्र मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी अवतार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी केशव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5.आरक्षी संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 20.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 694/24 धारा 305(ए)/62 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.12.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा घर मे रखी अलमारियों का ताला तोडकर चोरी करने का प्रयास किया गया है परन्तु कोई सामान चोरी नही हुआ है। घर मे लगे सीसीटीवी कैमरे मे उक्त अज्ञात चोर घर मे घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 694/24 धारा 305(ए)/62 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त मोनू पाल पुत्र देवमुनी निवासी मोदीनपुर कुराहा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर हाल निवासी जसवीर सिंह देहरा डडारीपुर लुधियाना ग्रामीण, लुधियाना पंजाब का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मोनू पाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू पाल पुत्र देवमुनी निवासी मोदीनपुर कुराहा थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर हाल निवासी जसवीर सिंह देहरा डडारीपुर लुधियाना ग्रामीण, लुधियाना पंजाब।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पाल एक शातिर अन्तर्जनपदीय चोर है जिसके विरूद्ध विभिन्न जनपदो मे करीब 1 दर्जन चोरी / आयुध अधिनियम के अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/15 धारा 380/411 भादवि0 थाना खखरेह जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0स0 258/23 धारा 380/457/411/416 भादवि0 थाना पश्चिम सरीरा जनपद कोशाम्बी।
3. मु0अ0स0 31/25 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना जामो जनपद अमेठी।
4. मु0अ0स0 07/25 धारा 305/325 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
5. मु0अ0स0 235/24 धारा 305 बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
6. मु0अ0स0 241/16 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
7. मु0अ0स0 271/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबाद जनपद झासी।
8. मु0अ0स0 199/18 धारा 380/411 भादवि0 थाना खखरेह जनपद फतेहपुर।
9. मु0अ0स0 228/18 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना खखरेह जनपद फतेहपुर।
10. मु0अ0स0 694/24 धारा 305(ए)/62 बीएनएस थाना चादपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी अर्जन तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 20.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 360/25 धारा 190/191(2)/115(2)/352/125(ए) बीएनएस मे वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2025 को ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर निवासी वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी ने अपने गांव के ही रहने वाले मोमीन पुत्र छुट्टन से उधार दिये गए पैसो को मांगा तो मोमीन व जावेद पुत्र वकील सहित 10 नामित अभियुक्तगण समस्त निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 360/25 धारा 190/191(2)/115(2)/352/125(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरणः-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण मोमीन पुत्र छुट्टन व जावेद पुत्र वकील निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.मोमीन पुत्र छुट्टन निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.जावेद पुत्र वकील निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी सुमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी अमित कुमार शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।